दिनांक 12 जून 2011 को आयोजित कार्यकारी परिषद की छठी बैठक के कार्यवृत्त

समूह । अनुमोदनार्थ मदें

ई सी : 06:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक व्यवस्थित कहा जाना

कार्यवृत्त

6.01.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन को व्यवस्थित बतलाया।

ई सी : 06:02	निधन सूचना संदर्भ

कार्यवृत्त

6.02.1 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना सदन के समक्ष गहरे शोक के साथ लाई गई:

1. *श्री भैरो सिंह शेखावत, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति*
2. *श्रीमति करूणा सिंह, पत्नि श्री बी पी सिंह, सिक्किम के महामहिम राज्यपाल एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के मुख्य रेक्टर*
3. *श्रीमती शंखा, गुरुंग टाशी नामग्याल एकेडमी के पूर्व शिक्षक, सिक्किम महिला परिषद के संस्थापक एवं धर्मपत्नी श्री वी बी गुरुंग, सिक्किम का पूर्व मुख्यमंत्री*
4. *श्रीमती गुर्री मधुसूदन सिंह इंचे स्कूल के पूर्व शिक्षक, सिक्किम महिला परिषद के संस्थापक सदस्य एवं धर्मपत्नी स्वर्गीय मधुसूदन सिंह निर्देशक (शिक्षा)*
5. *श्री पी ओ पाजो, पूर्व सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग*
6. *श्री मदन तमांग, अध्यक्ष ऑल इंडिया गोर्खा लीग एवं एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, दार्जिलिंग*
7. *श्री बद्री नारायण प्रधान, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भूतपूर्व राज्यसभा सदस्य*
8. *फा. ई पी बर्न्स, प्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता*
9. *श्रीमती लता रवि, धर्मपत्नी श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी, सिक्किम विश्वविद्यालय*

6.02.1 सदन में गहरे शोक के साथ ऊपर वर्णित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना को नोट किया तथा मृत आत्माओं के प्रति सम्मान के रूप में 2 मिनट का मौन धारण किया।

ई सी : 06:03	उप कुलपति द्वारा कार्य निष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त

6.03.1 उप कुलपति ने कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 मार्च 2010 को आयोजित बैठक के पश्चात विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों को चित्रित करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया। सदन में विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति पर अपनी हार्दिक प्रशंसा अभिलेखित किया। सम्मानित सदस्य प्रोफ़ेसर शिवराज सिंह ने इसे "सही दिशा में उठाया गया तेज कदम" बताया तथा उल्लेख किया कि की गई प्रगति किसी सर्वथा नए विश्वविद्यालय से की जाने वाली अपेक्षा से कहीं अधिक थी तथा इसके लिए उपकुलपति के नेतृत्व में कार्यरत विश्वविद्यालय दल की सराहना की डॉक्टर एस ए सूर्यवंशी ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा:

1. शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई।
2. यांग्यांग स्थित भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है?
3. हिमालयन जैव प्रौद्योगिकी पर एमएससी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर सदन को विस्तार से स्पष्ट किया जाए।

6.03.2 सम्मानित सदस्यों ने यह भी अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय के अगले दीक्षांत समारोह से कार्यकारी परिषद के सदस्यों को भी मंच पर बैठाया जाए , जैसा की अन्य विश्वविद्यालयों में किया जाता है । प्रोफेसर शिवराज सिंह ने सुझाव दिया कि शैक्षणिक परिषद के सदस्यों को भी प्रथम पंक्ति में बैठाया जाए । प्रोफ़ेसर मृणाल मिरी ने सिक्किम विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान प्रयुक्त दीक्षांत पोशाक का संदेश देते हुए सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय एक नए ड्रेस कोड के बारे में, जो की सामान्यता प्रयुक्त किए जाने वाले से भिन्न हो, प्रकल्प कर सकता है तथा यह विश्वविद्यालय की गरिमा एवं उचित अनुष्ठानों से मेल खाएगा।

6.03.3 उपरोक्त प्रेक्षणों पर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों को भरे जाने के संबंध में एक कार्यसूची मद है तथा सम्मानित सदस्यों के प्रश्न का, इस पर चर्चा के दौरान

उत्तर दिया जाएगा। यांग्यांग स्थित भूमि अधिग्रहण के संबंध में इसे एक अलग मद के रूप में विचार किया जाएगा । हिमालयन जैव प्रौद्योगिकी पर एमएससी हेतु नए पाठ्यक्रम के बारे में अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस पर विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी के प्रति प्रस्ताव किया गया है, तथा संक्षेप में पाठ्यक्रम के विशिष्ट लक्षणों को सदन के समक्ष स्पष्ट किया । यह कहा गया था कि यह पाठ्यक्रम मुख्यत: हिमालयन प्रदेश पर मुद्दों से संबंधित है तथा पाठ्यक्रम का पूर्ण पाठ सभी सदस्यों को अवलोकनार्थ एवं सुझाव के लिए भेजा जाएगा।

6.03.4 कार्यकारी परिषद के सदस्यों के मंच पर बैठाए जाने के संबंध में अध्यक्ष ने प्रथम दीक्षांत समारोह के दौरान इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को स्पष्ट किया। यद्यपि राष्ट्रपति के सचिवालय द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों एवं अन्य किन्ही औपचारिकताओं के कारण यह सफल नहीं हुआ । यद्यपि, उन्होंने आश्वस्त किया कि सम्मानित सदस्यों के दृष्टिकोण को पूर्णरूपेण नोट कर लिया गया है तथा दीक्षांत के अगले समारोह से कार्यकारी परिषद के सदस्यों को मंच पर बैठाए जाने का प्रत्येक संभव प्रयास किया जाएगा ।

6.03.5 सदस्यों द्वारा दीक्षांत पोशाक के बारे में उठाई गई विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए, श्री बेजबरुआ ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय पोशाक /ड्रेस एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर निर्णय के लिए एक विज्ञतापूर्ण बैठक का आयोजन करें । अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सम्मानित सदस्यों के सभी सुझावों प्रेक्षणों को विधिवत नोट किया गया है तथा इसपर विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाएगा।

6.03.6 उपरोक्त अभियुक्तियों के साथ सदन ने उनके समक्ष प्रस्तुत अध्यक्ष के कार्य निष्पादन उल्लेखों को नोट किया ।

ई सी : 06:04	कार्यकारी परिषद की दिनांक 08.03.2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

6.04.1 दिनांक 08.03.2010 को आयोजित कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि कर ली गई, जो कि अनुलग्नक ई.सी VI 01 पर प्रस्तुत है ।

ई सी : 06:05	कार्यकारी परिषद की दिनांक 08.03.2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

6.05.1 दिनांक 08.03.2010 को आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि की गई, जो कि अनुलग्नक ई.सी. VI 02 पर प्रस्तुत है ।

ई सी : 06:06	विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम दीक्षांत समारोह पर रिपोर्ट

कार्यवृत्त

6.06.1 सदन ने विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम दीक्षांत समारोह पर रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसे नोट किया

ई सी : 06:07	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - पाकिम पलेटिन कॉलेज

कार्यवृत्त

6.07.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्य सूची मद पर विस्तार पूर्वक विचार किया एवं इस मुद्दे पर शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर भी विचार किया । सदन ने नोट किया की शैक्षणिक परिषद ने मुद्दे पर सामूहिक रुप से विचार किया है, तथा प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2010-11 से अधिकतम दो नए पाठ्यक्रम लागू किए जाने की अनुशंसा की, बशर्ते कि संबंधित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में किए गए विभिन्न निर्धारणों की पूर्ति की जाती है।

6.07.2 इस मुद्दे पर, प्रोफेसर शिवराज सिंह ने अध्यक्ष का दृष्टिकोण जानना चाहा। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सामान्यतया व शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं । डॉक्टर आनंद कृष्णन ने उल्लेख किया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक इस महाविद्यालय में प्रथम वर्ष से ही अर्हता प्राप्त शिक्षकों की न्यूनतम संख्या उपलब्ध होना चाहिए, जिन्होंने नए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए आवेदन किया है । विश्वविद्यालय को इस मुद्दे पर स्पष्ट मानदंड का निर्माण भी करना चाहिए, क्योंकि यह प्रयोगशाला अभीमुखित पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अनुचित होगा , यदि महाविद्यालय द्वारा न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय "अंतर महाविद्यालय समर्पित प्रयोगशाला" की स्थापना विश्वविद्यालय संसाधन केंद्र के रूप में संबद्ध महाविद्यालयों के विज्ञान छात्रों एवं ऐसे ही विश्व

विद्यालय के छात्रों के लिए करने के संबंध में विचार कर सकता है । उन्होंने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी सुविधाओं की शुरुआत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है ।

6.07.3 सदन ने पाकिम पैलेटाइन कॉलेज के प्रथम एवं द्वितीय निरीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर भी विस्तृत विचार किया तथा नोट किया कि हालांकि दूसरी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार महाविद्यालय में कुछ सुधार हुए हैं परंतु महाविद्यालय द्वारा पूर्णरूपेण विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त नहीं किया जा सका है । सदन ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि महाविद्यालय ने माइक्रोबायोलॉजी सदृश्य प्रयोगशाला अभीमुखी अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम आरंभ करने का आवेदन बिना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के किया है । इसी समय सदन ने नोट किया कि महाविद्यालय दूरस्थ स्थान में (अध्यक्ष द्वारा विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया) स्थित है तथा करीब 22 किलोमीटर की त्रिज्या में कोई अन्य महाविद्यालय नहीं है।

6.07.4 उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए सदन ने अनुशंसा की कि महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2010-11 से उनके विकल्पों में से किन्ही दो पाठ्यक्रम की अनुमति दी जा सकती है। विश्वविद्यालय यह भी स्पष्ट करें कि नए पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धन अस्थाई होगा साथ ही यह निरीक्षण समिति द्वारा यथा अनुशंसित सभी वांछित पैरामीटरों के निरीक्षण एवं पूर्ति की शर्त पर होगा ।

ई सी : 06:08	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट- सरकारी महाविद्यालय रेनोक

कार्यवृत्त

6.08.1 सदन ने निरीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर विस्तृत विचार किया तथा नोट किया कि शैक्षणिक परिषद ने सरकारी महाविद्यालय, रेनोक में दो पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2010-11 से आरंभ किए जाने के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की है। इस पर सिक्किम सरकार के एच आर डी सचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री एस के प्रधान ने सदन से सिक्किम राज्य की शैक्षणिक आवश्यकताओं की दृष्टि से विशेषत: सरकारी महाविद्यालय, रेनोक द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए इस मुद्दे पर उदारतापूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। सदन ने इस दृष्टिकोण को नोट किया। इसी समय यह भी समझा गया कि यदि इस महाविद्यालय द्वारा आवेदित सभी 7 पाठ्यक्रमों की अनुमति दी जाती है तो इसे कम से कम आनर्स स्ट्रीम के लिए 24 एवं सामान्य पाठ्यक्रम के लिए 15 अतिरिक्त संकायों की आवश्यकता 6 सेमेस्टरों की अवधि की व्याप्ति हेतु पड़ेगी।

6.08.2 सदन ने नोट किया कि यह सिक्किम सरकार के ऊपर अर्हताप्राप्त संकायों को पाने में बहुत बढ़ा दबाव होगा, जबकि राज्य के महाविद्यालयों में पहले से ही संकायों की कमी है। सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए दृष्टिकोण पर पूर्णरुपेण सहानुभूति रखते हुए भी

निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित बाध्यता पर विचार करते हुए सदन ने शैक्षणिक परिषद द्वारा सिर्फ दो पाठ्यक्रमों की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा में सहमति दी ।

6.08.3 तदनुसार, सदन ने महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2010-11 से इनके विकल्प के दो पाठ्यक्रमों को आरंभ करने का अनुमोदन, इस निर्धारण के साथ किया कि इन नए पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति सर्वथा अनंतिम एवं निरीक्षण समिति द्वारा यथा अनुशंसित सभी वांछित पैरामीटरों के निरीक्षण एवं पूर्ति की शर्त पर होगी ।

ई सी : 06:09	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - डम्बर सिंह महाविद्यालय

6.09.1 सदन ने शैक्षणिक परिषद द्वारा की गई अनुशंसाओं का विस्तृत अध्ययन किया तथा इससे सहमत हुए ।

6.09.2 तदनुसार, सदन ने महाविद्यालय द्वारा अपेन विकल्प के दो पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2010-11 से आरंभ करने का अनुमोदन, इस निर्धारण के साथ किया कि नए पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति सर्वथा अनंतिम एवं निरीक्षण समिति द्वारा यथा अनुशंसित सभी वांछित पैरामीटरों के निरीक्षण एवं पूर्ति की शर्त पर होगी ।

ई सी : 06:10	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - नाम्ची सरकारी महाविद्यालय

6.10.1 सदन ने निरीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का विस्तृत विचार किया तथा यह नोट भी किया की शैक्षणिक परिषद द्वारा नामची सरकारी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2010 -11 से सिर्फ दो नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की अनुशंसा की गई है। सदन ने यह भी नोट किया की द्वितीय निरीक्षण समिती ने महाविद्यालय के लिए सिर्फ एक नए पाठ्यक्रम की अनुशंसा की है। इस परिस्थिति में अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विश्वविद्यालय इस सभा के माध्यम से सिक्किम सरकार से एक अनुरोध करना चाहता है कि सभी सरकारी महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर संकाय सदस्यों एवं नामांकन नीति के संबंध में प्राप्त स्थिति की समीक्षा की जाए । सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम सरकार को यह समझाना चाहता है कि इनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता एवं शिक्षा के मानक के सुधार के समग्र हित में है ।

सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम सरकार की सिक्किम के छात्रों को दी जानेवाली गुणता शिक्षा के इन के प्रयासों में सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है।

6.10.2 तदनुसार, सदन ने महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2010-11 से अपने विकल्प के दो नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने का अनुमोदन इस निर्धारण के साथ किया कि इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति सर्वथा अनंतिम एवं निरीक्षण समिति द्वारा यथा अनुशंसित सभी वांछित पैरामीटरों के निरीक्षण एवं पूर्ति की शर्त पर होगा।

ई सी : 06:11	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - सरकारी बी. एड. कॉलेज सोरेंग

कार्यवृत्त

6.11.1 सदन ने कार्यसूची मत पर विस्तृत विचार किया। चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने, अन्य बातों के अलावा उल्लेख किया कि यह वांछनीय होगा कि सिक्किम सरकार सिक्किम विश्वविद्यालय को एस एल ई टी के संचालन हेतु अनुमति प्रदान करें। सदन इस पर सहमत हुए तथा अध्यक्ष को इसे सिक्किम सरकार के साथ उठाए जाने का अनुरोध किया। श्री एस के प्रधान ने सदन को सोरेंग स्थित सरकारी बी एड. महाविद्यालय को खोले जाने में सिक्किम सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को विस्तृत रुप से स्पष्ट किया तथा सिक्किम के नागरिकों के प्रति सहज लागत पर गुणता शिक्षण शिक्षा को लाने की महत्वकांक्षा का उल्लेख किया।

6.11.2 सदन ने इस महाविद्यालय के ऊपर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त एन सी टी ई की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति पर भी विचार किया, जिसे बैठक के दौरान सदस्यों के बीच परिचालित की गई थी। सदन ने नोट किया कि इसमें रिपोर्ट किए गए कई तथ्य विश्वविद्यालय निरीक्षण दल द्वारा पाए गए तथ्यों के विपरीत तथा समरूप नहीं है। सदन ने उपकुलपति द्वारा एन सी टी ई के अव्यवस्थित एवं अवैज्ञानिक तरीके से किए गए निरीक्षण रिपोर्ट को इनके समक्ष लाने में किए गए प्रयासों की सराहना की। यह कहा गया था कि सिक्किम विश्वविद्यालय के उपकुलपति संभवत: देश का पहला वी सी है, जिन्होंने एन सी टी ई के कार्य प्रणाली में दोषों को उजागर किया है। प्रोफेसर आनंद कृष्णन ने कहा कि सरकारी महाविद्यालय होने के कारण सरकार को इसकी स्थापना के संबंध में सभी मापदंडों का अनुपालन करना चाहिए। सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि श्री एस के प्रधान ने पुनरोक्ति की कि सदन को राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संबद्धन के अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

6.11.3 सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट में पाई गई त्रुटियों एवं इस तथ्य को भी एन सी टी ई के साथ उठाना चाहिए कि विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि का हस्ताक्षर एन सी टी ई को प्रस्तुत रिपोर्ट में नहीं लिया गया था तथा बाद में सिक्किम विश्वविद्यालय को भेज दिया गया था।

की जाने वाली दूसरी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के साथ इसका पुनरीक्षण किया जाए

6.11.4 उल्लेखित विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हुए साथ ही विश्व विद्यालय निरीक्षण दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर सदन ने महाविद्यालय के प्रति शैक्षणिक सत्र 2010 - 11 से अनंतिम रूप से संबद्धन प्रदान किए जाने के प्रस्ताव का सिक्किम सरकार को इस समय रूपरेखा के साथ अनुमोदन किया कि निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में तथा उल्लेखित सभी वांछित इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया जाएगा ।

ई सी : 06:12	चीनी भाषा में एकीकृत पाठ्यक्र हेतु सिलेवस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

6.12.1 सदन ने पाठ्यचर्चा निर्माण में विभिन्न महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा की । यह कहा गया की पाठ्य चर्चा की प्रकल्पन स्थानीय समस्याओं के योजन/ ध्यान केंद्रन , वर्ग विमर्श की महत्ता आदि की अवधारणा के साथ किया जाना चाहिए । सदन को सिक्किम विश्वविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यचर्चा विकास समिति (सीडीसी) को दिए जाने वाले निर्देशन की संक्षिप्त शर्तों के बारे में जानकारी दी गई । सी डी सी के सदस्यों का चुनाव प्रतिष्ठित शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के एक विविध समुच्चय से किया जाता है, ताकि पाठ्यचर्चा को वास्तविक, सामाजिक रुप से संगत एवं शैक्षणिक रूप से सख्त बनाया जा सके। अध्यक्ष ने सदन को विश्वविद्यालय द्वारा न सिर्फ महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर नए अंतर-शास्त्रीय पाठ चर्चाओं के प्रकल्पन में, बल्कि विशेषज्ञों के दल दलों द्वारा इनके सतत सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यचर्चाओं के पुनरीक्षण में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

6.12.2 सदन ने पाठ्यचर्चा विकास में प्रयासों एवं नवीकरणीय प्रकल्पों की उत्कृष्ट प्रशंसा की तथा सुझाव दिया कि इन नए उपायों एवं विषय-वस्तुओं से अन्य विश्वविद्यालयों को भी अवगत करवाया जाए ।

6.12.3 सीडीसी रिपोर्ट पर विधिवत चर्चा एवं शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विचार के बाद सदन ने चीनी भाषा में एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस अनुमोदन किया।

ई सी : 06:13	भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन

5.13.1 सदन ने "सीखने के लिए सीख" के उद्गामी अवधारणा पर विचार के साथ चर्चा आरंभ किया । सदन ने पाया कि सिलेबस में रचनात्मक सोच हेतु खुराक होना चाहिए तथा शिक्षण

एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया पाठ्यचर्चा का एकीकृत अंग होना चाहिए । पाठ्यचर्चा में कार्यरत प्रशिक्षण के मॉड्यूल का पर्याप्त रुप से समावेश होना चाहिए । प्रोफेसर आनंद कृष्णन ने कहा कि वास्तव में सिलेबस एक क्लासिकी प्रणाली है तथा अंतर-शास्त्रीय शिक्षण का अवसर सिलेबस में पर्याप्त रुप से समाविष्ट होना चाहिए। प्रोफ़ेसर शिवराजसिंह का प्रेक्षण था कि सिलेबस प्रकल्पन के दौरान क्रेडिट स्थानांतरण की अवधारणा को ध्यान में रखा जाना चाहिए । शिक्षण के स्तंभ यथा-जानने के लिए, शिक्षण करने के लिए, शिक्षण किसी समूह में होने के लिए शिक्षण तथा नेतृत्व करने के लिए शिक्षण को पाठ्यचर्चा में पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। प्रोफेसर सूर्यवंशी का प्रेक्षण था कि सिलेबस 90% तक अखिल भारतीय प्राकृति का तथा शेष 10% प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। प्रोफेसर मृणाल मिरी ने पाया की वास्तविक सिलेबस उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि सिलेबस किस प्रकार शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ अंतस्-प्रतिक्रिया में संलग्न करता है तथा शिक्षक किस प्रकार छात्रों को वर्तमान मुद्दों के साथ संपर्क में रखता है । सीडीसी को शास्त्रों का परीक्षण करना चाहिए, अर्थात इतिहास निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है ।सिलेबस को शास्त्रों में पारगम्य होना चाहिए ।

6.13.2 उपरोक्त चर्चा के उपरांत सदन ने भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में पीजी पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:14	रासायनिक विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन

6.14.1 सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विधिवत विचार किया तथा रासायनिक में एम एस सी पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:15	जनसंचार में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

6.15.1 सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विधिवत विचार किया तथा जनसंचार में एम ए पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:16	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

6.16.1 सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विधिवत विचार किया तथा अर्थ शास्त्र में एमएससी पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया।

6.16.2 विचार-विमर्श के दौरान प्रोफेसर आनंद कृष्ण ने उल्लेख किया की पाठ्यचर्चा प्रकल्पन पर उपरोक्त विमर्श के आधार पर विश्व विद्यालय शैक्षणिक परिषद से इसपर गहराई से विचार करने का अनुरोध करें , ताकि पाठ्यचर्चा प्रकल्पण की प्रक्रिया के मानकीकरण का आधार-संरचना प्रदान किया जा सके।

ई सी : 06:17	माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल /पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

6.17.1 सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विधिवत विचार किया तथा माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल/ पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:18	अंतरर्राष्ट्रीय संबंधों में एमफिल /पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

6.18.1 सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विधिवत विचार किया तथा अंतरर्राष्ट्रीय संबंधों में एमफिल/ पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:19	समाजशास्त्र में एमफिल /पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

6.19.1 सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विधिवत विचार किया तथा समाजशास्त्र में एमफिल/ पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:20	शांति एवं संघर्ष अध्ययन में एमफिल /पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

6.20.1 सदन ने शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विधिवत विचार किया तथा शांति एवं संघर्ष अध्ययन में एमफिल/ पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:21	विश्वविद्यालय विभागों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के लिए सेमेस्टर अंतराल के उपभोग हेतु मार्गदर्शन

5.21.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत चर्चा की तथा नोट किया की परीक्षा पर अध्यादेश में एक खंड सेमेस्टर अंतराल के उपभोग करने के लिए आयोजित किया जाए, जो की शैक्षणिक परिषद के माध्यम से संशोधन के रूप में कार्यकारी परिषद के प्रति अलग से लाया जाएगा। सदन ने पुनः विश्व विद्यालय प्रबंधन दल द्वारा छात्रों के हितार्थ लाए गए इस नए एवं नवीकरणीय विचार के लिए प्रशंसा की ।

5.21.2 उपरोक्त पर विचार करते हुए सदन ने प्रस्ताव के तत्काल किए जाने का अनंतिम रूप से अनुमोदन किया ताकि, संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों के कई छात्र जुलाई 2010 से आरंभ होने वाले मानसून सेमेस्टर से इसका लाभ उठा सकते हैं। यह देखा गया कि ऐसे अध्यादेश को कार्यकारी परिषद के समक्ष पर्याप्त समय रूपरेखा के साथ लाया जाना चाहिए।

ई सी : 06:22	क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर परीक्षा के अध्यादेश का अनुमोदन

कार्यवृत्त

6.22.1 क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर परीक्षा के अध्यादेश के प्रति ड्राफ्ट संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत गया किया गया तथा सदन ने इस पर विधिवत विचार किया । सदन द्वारा परीक्षण किया गया कि क्रेडिट प्रणाली को पर्याप्त माननीय होना चाहिए , ताकि पाठ्यक्रम को पूरा करने में लंबी अवधि लेने वाले छात्र एवं विश्वविद्यालय इस पहलू पर अवधारणा को लागू करने के दौरान विचार कर सके ।

6.22.2 उपरोक्त प्रेक्षणों के साथ सदन ने अध्यादेश का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:23	एम फार्म पाठ्यक्रम के नए शास्त्र को लागू किए जाने के लिए एच पी आई का अनुरोध

कार्यवृत्त

6.23.1 सदन ने कार्यसूची मद पर गहराई से विचार किया तथा शैक्षाणिक परिषद की इस अनुशंसा से सहमत हुए कि संबंधित महाविद्यालय को स्पष्ट शब्दों में सूचित कर दिया जाए कि नए पाठ्यक्रम एवं इसमें नामांकन शैक्षणिक सत्र 2010-11 से बिल्कुल आरंभ न किया जाए तथा इसके लिए अनुमति प्रदान किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार वर्ष 2011-12 हेतु गुणों पर मात्र आधारित होगा । 1 जुलाई 2010 से आरंभ होने वाले वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

ई सी : 06:24	हिमालयन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु अनुरोध

कार्यवृत्त

6.24.1 सदन ने इस कार्य सूची मद पर शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विचार किया तथा सहमत हुए की संबद्धन प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर विचार किया जाना तब तक संभव नहीं होगा, जब तक कि विश्वविद्यालय का अपना इंजीनियरी विभाग ना हो सदन ने विश्वविद्यालय को रेनोक एजुकेशनल सोसायटी के प्रति उपरोक्त निर्णय सूचित किए जाने का निर्देश दिया॥

ई सी : 06:25	द्वितीय शैक्षणिक परिषद का गठन

कार्यवृत्त

6.25.1 अध्यक्ष ने सदन को संक्षिप्त सूचना दी की विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक परिषद का गठन जुलाई 2008 में किया गया था तथा प्रथम कार्यकारी परिषद फरवरी 2008 में 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए गठित किया गया था । चूंकि दोनों सांविधिक निकायों का कार्यकाल शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, अतः सांविधियों द्वारा इन निकायों के पुनर्गठन की आवश्यकता है ।

6.25.2 सदन ने शैक्षणिक परिषद के पुनर्गठन के प्रति इस ड्राफ्ट सांविधि से संबंधित कार्यसूची मद एवं शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर विचार किया, तथा इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमोदित किया।

ई सी : 06:26	द्वितीय कार्यकारी परिषद का गठन

कार्यवृत्त

6.26.1 कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन के प्रति इस ड्राफ्ट सांविधि से संबंधित कार्यसूची मद पर सदन ने विचार किया तथा इससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किए जाने के लिए अनुमोदित किया।

ई सी : 06:27	विभिन्न स्कूलों एवं विभागों की स्थापना हेतु सांविधि

कार्यवृत्त

6.27.1 सदन ने विभिन्न स्कूलों एवं विभागों की स्थापना पर ड्राफ्ट सांविधि पर विचार किया। सामाजिक विज्ञान स्कूल के संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि स्कूल का नाम "स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस" के रूप में संशोधित किया जाएगा ।

6.27.2 उपरोक्त संशोधन के साथ, सदन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने वाली सांविधि का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:28	डिग्री प्रदान किए जाने या अन्य देशों से विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु अध्यादेश

कार्यवृत्त

6.28.1 शैक्षणिक परिषद द्वारा की गई अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद , सदन ने डिग्री प्रदान करने अथवा अन्य उद्देश्यों से विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन करने पर अध्यादेश का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:29	डिग्री प्रदान करने अथवा अन्य उद्देश्यों से विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु विनियमावली ।

कार्यवृत्त

6.29.1 सदन ने दीक्षांत समारोह के आयोजन पर भी नियमावली तथा इसपर शैक्षणिक परिषद द्वारा की गई अनुशंसाओं पर विचार किया एवं तदनुसार इसका अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:30	गोल्ड मेडल अवार्ड किए जाने पर विनियमावली

कार्यवृत्त

6.30.1 सदन ने गोल्ड मेडल अवार्ड किए जाने पर विनियमावली तथा इसपर शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:31	वर्ष 2009-10 हेतु वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन

कार्यवृत्त

6.31.1 सदन ने वर्ष 2009-10 हेतु वार्षिक लेखाओं तथा वित्त समिति की अनुशंसाओं पर विधिवत विचार किया, तथा इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रति लेखा परीक्षा हेतु प्रेषित किए जाने के लिए अनुमोदित किया ।

समूह-II संपुष्टि हेतु मदें

ई सी : 06:32	गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतन का परिशोधन

कार्यवृत्त

6.32.1 सदन ने कार्य सूची मध्य पर विचार किया तथा इसकी संपुष्टि की ।

ई सी : 06:33	डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा, परीक्षा नियंत्रक को रजिस्ट्रार के कार्यालय का प्रभार सौंपे जाने की संपुष्टि किया जाना ।

कार्यवृत्त

6.33.1 सदन ने कार्य सूची मध्य पर विचार किया तथा इसकी संपुष्टि की ।

ई सी : 06:34	वर्ष 2010-11 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के परिणाम

कार्यवृत्त

5.34.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर जिज्ञासापूर्वक विचार किया । अध्यक्ष ने सदन को पूरे देश में फैले 24 प्रवेश परीक्षा केंद्रों तथा भूटान एवं नेपाल प्रत्येक में एक केंद्र के बारे में साथ ही विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा इसके सुचारु संचालन के बारे में सूचना दी। अध्यक्ष ने सदन को संपूर्ण देश से विश्वविद्यालय को अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रति मिले उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया तथा प्रवेश परीक्षा के परिणाम के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया ।

ई सी : 06:34	वर्ष 2010-11 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के परिणाम

कार्यवृत्त

5.34.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर जिज्ञासापूर्वक विचार किया । अध्यक्ष ने सदन को पूरे देश में फैले 24 प्रवेश परीक्षा केंद्रों तथा भूटान एवं नेपाल प्रत्येक में एक केंद्र के बारे में साथ ही विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा इसके सुचारु संचालन के बारे में सूचना दी। अध्यक्ष ने सदन को संपूर्ण देश से विश्वविद्यालय को अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रति मिले उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया तथा प्रवेश परीक्षा के परिणाम के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया ।

ई सी : 06:35	बजट बनाम वास्तविक आंकड़े

कार्यवृत्त

6.35.1 सदन ने इसे नोट किया।

ई सी : 06:36	वर्ष 2009-10 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कार्यवृत्त

6.36.1 सदन ने इस मद पर विस्तृत विचार किया । सदन ने सुझाव दिया की आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई विभिन्न अनुशंसाओं को विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल कार्यान्वयन किया जाए। श्री बेजबरुआ निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई अनुशंसाओं पर एक अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट सदन की अगली बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत की जाए ।

ई सी : 06:37	विश्वविद्यालय के शिक्षण पदें एवं उनके भरे जाने की प्रक्रिया

कार्यवृत्त

6.37.1 अध्यक्ष ने सदन को विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों को नियमित आधार पर भरे जाने के लिए किए गए प्रयासों को स्पष्ट किया । कार्यसूची मद पर विचार करने के बाद सदन ने इसे नोट किया ।

ई सी : 06:38	यांग्यांग, दक्षिण सिक्किम स्थित विश्वविद्यालय हेतु भूमि अधिग्रहण की स्थिति

कार्यवृत्त

6.38.1 सदन ने इस कार्य सूची मध्य पर बहुत ही विस्तार से चर्चा किया॥ सदन ने चिंता व्यक्त की कि यांग्यांग में भूमि अधिग्रहित किए जाने तथा इसे विश्वविद्यालय को सौंपे जाने में विलंब शैक्षणिक कार्यक्रम के लागू किए जाने में बहुत कठिनाई पैदा कर रहा है। भूमि सौंपे जाने की प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं हुई है । यह इस तथ्य के बावजूद है कि विश्वविद्यालय को सिक्किम सरकार से तीन पत्र भूमि को प्राप्त करने के संबंध में मिल चुका है । सदन ने यह भी नोट किया कि इन विलंबों का गंभीर वित्तीय दुष्परिणाम हो सकता है ,जोकि कैंपस को गंगटोक में वर्तमान अवस्थान से स्थानांतरित करने में पणधारकों के हित को अधिक क्षति करेगा, यदि आगे और विलंब होता है । सदन ने सिक्किम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की । सदन ने सिक्किम सरकार से प्रतिनिधि श्री एस के प्रधान से भूमि सौंपे जाने में विलंब के कारणों को जानना चाहा। श्री एस के प्रधान ने सदन को उत्तर दिया कि सिक्किम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र भूमि सौंपे जाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है । यह कहा गया कि डीसी (दक्षिण) को यथाशीघ्र विश्वविद्यालय की भूमि पर जाने का अनुदेश दिया जा चुका है ।

6.38.2 अध्यक्ष ने सदन को भूमि अधिग्रहित हो जाने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली अगली कार्रवाईयों के बारे में बतलाया । एक महत्वपूर्ण कार्रवाई, विशेषज्ञों की एक समिति अर्थात कैंपस विकास बोर्ड का गठन करने की है , जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए सदस्य विश्वविद्यालय को इनकी आयोजना एवं कैंपस निर्माण के संबंध में सलाह देंगे । सदन ने उपकुलपति को यथा वांछित विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया। अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय द्वारा एक शीर्ष समिति के गठन की भी इच्छा व्यक्त की, जो कि सभी प्रचालनों का पर्यवेक्षण करेगी। सदन द्वारा इसमें सहमति व्यक्त की गई ।

ई सी : 06:39	शिक्षण संकाय की भर्ती

कार्यवृत्त

6.39.1 सदन ने इस कार्य सूची मध्य पर विस्तृत विचार विमर्श किया। अध्यक्ष ने सदन को विश्वविद्यालय द्वारा इस पक्ष में की गई विभिन्न कार्रवाइयों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया । सदन ने इसे नोट किया । प्रोफेसर आनंद कृष्णन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय इस पर भी विचार कर सकता है कि यह योग्य अभ्यर्थियों को परिलब्धियां के प्रस्ताव में नमनीयता का विकल्प रख सकता है, जो कि अंतर्वार्ता के दौरान चयन समिति द्वारा निर्मित किया जाएगा । यह विश्वविद्यालय को विज्ञापित पदों को भरने में सुयोग्य अभ्यर्थियों को पाने में सहायक होगा ।

ई सी : 06:40	विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों पर अतिरिक्त सांविधियां

कार्यवृत्त

6.40.1 यह मद सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परंतु इस पर विचार नहीं किया जा सका। सदन में परिचालन द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची मद से अपनी सहमति जताई ।

ई सी : 06:41	गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती

कार्यवृत्त

6.41.1 सदन में कार्य सूची मद पर विचार किया तथा उपकुलपति को पदों में ऐसी चयन समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया , जिसमें अन्य बातों के अलावा कार्यकारी परिषद एवं शैक्षणिक परिषद से भी सदस्य होंगे ।

ई सी : 06:42	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमावली

कार्यवृत्त

6.42.1 सदन ने शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमावली पर अध्यादेश का अनुमोदन किया ।

ई सी : 06:43	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कार्यवृत्त

6.43.1 कोई कार्यसूची मद नहीं होने के कारण अध्य महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई।

ह0
(पी वी रवि)
कार्यकारी रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी
सचिव, कार्यकारी परिषद